

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 798-व-3-2023/ 1684

चण्डीगढ़ दिनांक 13/03/2023

विषय:-

Diversion of 3.7381 ha. in (2.2099 ha. Of Ambala, 1.0222 ha. Of Yamuanagar, 0.029 ha. Of Kurukshetra, 0.477 ha. Of Karnal,) of Forest land in favour of Project Director National Highways Authority of India Ambala for Construction of 6-lans access-controlled Highway from Shamli to Ambala along Mohri-Kesri road K.M 12-13 L/R/Sidi, Jagadhari Ambala Road Km. 41-42 L/Side Mithapur to Sambhalka Road L&R Side, Hamidpur Bund 0-Tail R/L Side, Adhoya to Akalgarh Road 1-2 R/L Side, Alawapur-Foxa Line Road R/L Side in state of Haryana and Uttar Pradesh and Punjab under Forest Division & Disst. Ambala. (Online Proposal No.FP/HR/Road/153630/2022).

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा पंचकुला की सिफारिश के दृष्टिगत मुख्य संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला व मध्य परिमण्डल राहतक द्वारा NHAI PIUI Ambala Haryana के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव सरकार के आगामी आदेशार्थ भिजवाया है कि कथित प्रस्ताव वन संक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है जो कि संस्तुति उपरांत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया है। इस प्रस्ताव में 3.7381 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें कुल बाधक वृक्षों की संख्या 794 व नष्ट होने वाले पौधों की संख्या 264 का विवरण मण्डल वाईज निम्न प्रकार से है:-

जिला	वन क्षेत्र (है०)	बाधक वृक्षों की संख्या	वाल्यूम	नष्ट होने वाले पौधों की संख्या
अम्बाला	2.2099	540	325.73 एम3	89
यमुनानगर	1.0222	192	360.460 एम3	175
कुरुक्षेत्र	0.029	01	1.13 एम3	0
करनाल	0.477	61	37.24 एम3	0
कुल	3.7381	794		264

यह स्थल किसी भी प्रतिबंधित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। इस प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। इस प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से कैम्पा के लेखा में निम्न प्रकार से जमा करवाई जायेगी।

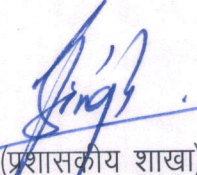
क्र०सं०	विवरण	अम्बाला की राशि	यमुनानगर की राशि	कुरुक्षेत्र की राशि	करनाल की राशि	कुल
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	3592134	2498259	66521	741258	6898172
2.	मृदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	2611004	848401	19956	473575	3952936

3.	सुपरवाईजरी चार्जिज	791213	257091	15652	74126	1137082
4.	Barbed Charge (A+B)	4462400	85092	80000	763200	5390692
5.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फोरेस्ट लैण्ड	2116598	979043	27776	456862	3580279
6	Felling Charges	390876	504644	1356	52136	949012
7	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	118407	427785			546192
	Total	14082632	5600315	211261	2561157	22454365

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Part-II के पैरा 13(i) में वर्णित स्थानों अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल में 9026 पौधे लगाए जायेंगे। जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

जिला	पौधों की संख्या	प्रस्तावित सी०ए० साईट
अम्बाला	5578	Kheragani Sec 4&5
यमुनानगर	2394	Bir TApu RF
कुरुक्षेत्र	100	Damli Bundh RD 16-20
करनाल	954	Yamunaa bandh RD 23-50
कुल	9026	

इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जारी हिदायत 1-52 /misc/ 2019/ ROC/1496 dated 09.09.2022 के संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है। यह प्रस्ताव संतुष्टि उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


 अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा)
 कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
 पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग। R

Full Title of the Project : Diversion of 3.7381 ha (2.2099 ha of Ambala, 1.0222 ha of Yamunanagar, 0.029 ha of Kurukshetra, 0.477 ha of Karnal) of Forest Land in favor of Project Director National Highway Authority of India Ambala for construction of 6-lane access-controlled Highway from Shamli to Ambala along Mohri-Kesri road K.m 12-13 L/R Side, Jagadhri Ambala road Km.41-42 L/side Mithapur to Sambhalka Road L&R Side, Hamidpur Bundh 0-Tail R/L Side, Barara-Tandwal Road 0-Tail R/L side, Markanda-Ghelri Bundh 0-11 R/L side, S.S Road K.m 42 R/L Side, Adhoya to Akalgarh Road 1-2 R/L Side, Alawalpur-Foxa Line Road R/L Side in State of Haryana and Uttar Pradesh and Punjab under Forest Division & District Ambala, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/ROAD/153630/2022

PART-V

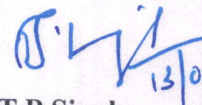
(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	---------------------------

Date : 13-03-23

Place : Chandigarh

Signature


13/03/23

Name: **Dr. T.P Singh,**

**Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department**

Office Seal: **Secretary to Govt. of Haryana,
Forest Department**